रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-312/2026/1465/22-2-2024-17(222)/2016

लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामसुन्दर (बन्दी संख्या-1149/14) पुत्र श्री सुखलाल यादव, निवासी- पूरे महादेवन, मजरे-रहवां, थाना-गुरूबक्शगंज, जनपद-रायबरेली, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-392/1981 में भा०द०वि० की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायबरेली के दण्डादेश दिनांक 18.11.1982 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2012 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.04.2015 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया।। बन्दी द्वारा दिनांक 28.08.2023 तक अपरिहार 10 वर्ष, 11 माह, 20 दिन तथा 13 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-312/2026/1465(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
3- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।